भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1163

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

ईएसआईसी योजना के अंतर्गत लाभार्थी

†1163. श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में और विशेषकर तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों और उनके आश्रितों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में और विशेषकर रामनाथपुरम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ईएसआईसी योजना के अंतर्गत कवर किए गए बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार और जिले-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या की आवश्यकता के अनुरूप सेवा देने के लिए उक्त जिलों में विद्यमान ईएसआईसी अस्पतालों, औषधालयों और स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की पर्याप्तता का आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में ईएसआईसी संस्थानों में चिकित्सा अवसंरचना, नैदानिक सुविधाओं या जनशक्ति की उपलब्धता में जिला-वार किसी कमी को चिह्नित किया है; और

(च) सरकार द्वारा तमिलनाडु में ईएसआईसी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने एवं बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार करने तथा बीमित व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): देश और तमिलनाडु में वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-24 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	देश में लाभार्थियों की संख्या	तमिलनाडु में लाभार्थियों की संख्या
2022-23	13,30,73,951	1,56,03,032
2023-24	14,43,59,629	1,69,83,109
2024-25	14,91,31,214	1,73,73,864

कैलेंडर वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 (दिनांक 30.11.2025 तक) के दौरान तमिलनाडु में रामनाथपुरम सहित ईएसआईसी योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति (आईपी) और लाभार्थियों की जिला वार संख्या संलग्न है।

जारी..2/-

(ग) से (च): ईएसआईसी के पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार व्यवहार्यता का मूल्यांकन करके ईएसआई निगम अस्पताल का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। मानकों के अनुसार, नए 150 और 200 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल स्थापित करने के लिए क्रमशः न्यूनतम 1,00,000 और 1,50,000 बीमित व्यक्ति (आईपी) आवश्यक हैं। इसके अलावा, 50 किमी के दायरे के भीतर कोई अन्य ईएसआई अस्पताल नहीं होना चाहिए। रामनाथपुरम जिले में आईपी की संख्या केवल 7913 है। इसलिए, यह स्थान अस्पताल स्थापित करने के लिए पात्र नहीं है।

तमिलनाडु में कुल आईपी की संख्या 44,77,800 है। वर्तमान में, राज्य में 11 अस्पताल और 241 औषधालय सक्रिय हैं और बीमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, संशोधित बीमा चिकित्सक (एमआईएमपी) योजना के तहत राज्य में 04 बीमा चिकित्सक भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 07 अतिरिक्त अस्पतालों को भी मंजूरी दी गई है।

ईएसआईसी द्वारा ईएसआई कार्ड धारकों के लिए चिकित्सा देखभाल सेवा की आपूर्ति को सुधारने और ईएसआईसी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को सुदृढ़ और विस्तारित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

i) जहाँ ईएसआई चिकित्सा सेवाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, वहां देश में पीएमजेएवाई पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ईएसआई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग।

ii) स्थायी निःशक्तता लाभ (पीडीबी) / आश्रित लाभ (डीबी) लाभार्थियों के लिए लाभ की दरों में वृद्धि।

iii) लाभार्थियों को चिकित्सा और नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए आईपी और उनके परिवार के सदस्यों का स्वैच्छिक आधार पर आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाया गया है।

iv) आईपी / बीमित महिलाओं (आईडब्ल्यू) को निर्बाध सेवाएँ प्रदान करने के लिए, ईएसआई योजना के तहत नकद लाभ दावों की प्रस्तुति के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल / सुविधा शुरू की गई है।

v) ओपीडी में दिखाने के लिए स्व-पंजीकरण करने, पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने, प्रतीक्षा समय कम करने और मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों के लिए यूजर-फ्रेंडली ऐप का अपग्रेडेशन।

*   *****

अनुबंध

"ईएसआईसी योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में श्री नवसकनी के., श्री जी. सेल्वम और श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	जिला का नाम	2022		2023		2024		2025*	
		बीमित व्यक्तियों की सं.	लाभार्थियों की संख्या	बीमित व्यक्तियों की सं.	लाभार्थियों की संख्या	बीमित व्यक्तियों की सं.	लाभार्थियों की संख्या	बीमित व्यक्तियों की सं.	लाभार्थियों की संख्या
1.	चेंगलपट्टु	2,00,182	7,76,705	2,22,559	8,63,527	2,43,547	9,44,961	2,39,698	9,30,028
2.	चेन्नई	8,75,370	33,96,435	9,56,317	37,10,508	10,33,800	40,11,143	10,21,962	39,65,212
3.	कडलोर	24,573	95,344	28,150	1,09,223	31,828	1,23,494	38,000	1,47,440
4.	कांचीपुरम	1,58,947	6,16,716	2,07,733	8,06,003	2,35,326	9,13,065	2,66,434	10,33,764
5.	तिरुवल्लूर	2,79,690	10,85,197	3,13,930	12,18,049	3,40,770	13,22,187	3,57,730	13,87,992
6.	तिरुवन्नामलई	2,154	8,357	3,110	12,067	6,287	24,394	7,916	30,714
7.	वेल्लोर	1,72,200	6,68,136	1,91,428	7,42,741	1,89,599	7,35,643	1,80,881	7,01,818
8.	विलुप्पुरम	5,160	20,022	6,669	25,876	12,698	49,270	17,750	68,870
9.	कोयंबतूर	3,74,946	14,54,793	4,34,645	16,86,421	4,53,585	17,59,910	4,54,416	17,63,134
10.	इरोड	1,06,086	4,11,613	1,23,232	4,78,141	1,31,871	5,11,661	1,28,583	4,98,902
11.	नीलगिरि	4,836	18,764	5,437	21,097	5,449	21,143	6,770	26,268
12.	तिरुप्पुर	3,11,687	12,09,345	3,57,319	13,86,397	3,89,042	15,09,482	3,72,451	14,45,110
13.	डिंडिगुल	91,898	3,56,564	1,00,480	3,89,862	1,10,007	4,26,828	1,09,736	4,25,776
14.	मदुरै	1,42,255	5,51,949	1,51,370	5,87,314	1,60,931	6,24,413	1,68,268	6,52,880
15.	पुदुकोट्टई	15,946	61,869	17,659	68,517	19,999	77,597	24,920	96,690
16.	रामनाथपुरम	758	2,940	3,089	11,986	6,890	26,732	7,737	30,020
17.	शिवगंगा	24,194	93,874	26,787	10,3935	28,688	1,11,309	26,449	1,02,622
18.	तेनी	22,316	86,587	23,438	90,938	24,631	95,567	25,472	98,831
19.	विरुदुनगर	1,40,967	5,46,950	1,31,698	5,10,988	1,45,370	5,64,034	1,41,511	5,49,063
20.	अरियलूर	4,524	17,554	5,713	22,167	6,653	25,814	6,896	26,756
21.	धर्मपुरी	3,673	14,250	5,785	22,445	7,776	30,172	9,117	35,374
22.	करूर	36,840	1,42,940	44,622	1,73,133	49,572	1,92,340	53,888	2,09,085
23.	कृष्णगिरि	1,27,180	4,93,460	1,62,976	6,32,346	1,91,785	7,44,125	2,15,661	8,36,765
24.	मयिलाडुतुरै	101	392	143	553	521	2,023	1,135	4,404
25.	नागपट्टिनम	1,966	7,627	3,030	11,757	3,703	14,367	4,752	18,438
26.	नामक्कल	38,150	1,48,021	46,992	1,82,328	52,525	2,03,797	53,780	2,08,666
27.	सेलम	96,211	3,73,300	1,11,107	4,31,093	1,18,289	4,58,961	1,28,800	4,99,744
28.	तंजावुर	26,410	1,02,469	30,459	1,18,182	32,374	1,25,611	35,748	1,38,702
29.	तिरुवरुर	4,859	18,851	5,714	22,170	6,187	24,004	6,655	25,821
30.	तिरुचिरापल्ली	80,887	3,13,841	98,356	3,81,621	1,08,532	4,21,104	1,22,434	4,75,044
31.	कन्याकुमारी	47,240	1,83,290	45,454	1,76,360	51,295	1,99,026	53,193	2,06,389
32.	तेनकासी	11,421	44,314	10,126	39,288	13,224	51,308	14,111	54,751
33.	तूतुकुड़ी	60,129	2,33,299	65,257	2,53,197	72,263	2,80,381	72,600	2,81,688
34.	तिरुपतूर	162	630	986	3,826	3,773	14,641	4,975	19,303
35.	रानीपेट	410	1,592	727	2,821	0	0	0	0
36.	तिरुनेलवेली	64,793	2,51,396	73,932	2,86,856	78,856	3,05,961	85,928	3,33,401
37.	दक्षिण अंडमान	1,190	4,617	3,706	14,379	5,610	21,767	6,325	24,541
38.	पेरम्बलूर	0	0	1,268	4,920	3,834	14,874	5,118	19,858

* दिनांक 30.11.2025 तक

******